न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 206 /2021 2021/505

वादी :–

मांगीलाल पुत्र तुलछाराम

जाति जाट नि. नवाला

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

चन्दाराम, रूपाराम, दुलाराम पिता

जाति जाट साकिन नवाला

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री स्वंय स्वंय वादी।
2..श्री स्वंय प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 16.11.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 1820 रकबा 87.02 बीघा, सरहद मौजा सारणों की ढाणी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम रतनाराम होने से राजस्व रेकर्ड में रतनाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम मांगीलाल दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज रतनाराम के स्थान पर मांगीलाल सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:18:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......रतनाराम...... के स्थान पर ......मांगीलाल...... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......तहसीलदार पचपदरा...... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ......1820...... रकबा ......87-02...... बीघा, सरहद मौजा ......सारणों की ढाणी...... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......रतनाराम...... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ......पचपदरा...... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......रतनाराम...... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......मांगीलाल...... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ......1820...... रकबा ......87-02...... बीघा, सरहद मौजा ......सारणों की ढाणी......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......रतनाराम...... पुत्र ......तुलछाराम...... के स्थान पर ......मांगीलाल...... पुत्र ....खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......16-11-21...... को खुले ...... **मजमे आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:18:18 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
केम्प कोर्ट.........................
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मांगीलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट नि० नवातला तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		चन्दाराम, भरताराम, इसाराम पिता तुलछाराम जाति जाट नि० नवातला राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ....स्वयं........ पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....स्वयं.................. पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ....1820.................. रकबा ......87.02........ बीघा, सरहद मौजा ....नवातला की ढाणी.... ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....पनमाराम.............. पुत्र ....तुलछाराम.... ...... के स्थान पर ....मांगीलाल.......... पुत्र ....तुलछाराम.... खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...16-11-21... को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:18:18 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		